



# **BULANDSHAHR POLICE**



**दिनांक 11 सितम्बर 2023**

**"ऑपरेशन कन्विकशन" अभियान के क्रम में बुलन्दशहर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी कर दुष्कर्म के 01 आरोपी को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा दिलवायी गयी:-**

अवगत कराना है कि अभियुक्त साबिर पुत्र अख्तर अली निवासी नौरंगाबाद थाना कोतवाली नगर जनपद इटावा द्वारा वर्ष-2014 में थाना कोतवाली नगर क्षेत्र निवासी एक 17 वर्षीय युवती को अपने साथ भगा ले जाने व दुष्कर्म करने की दुस्साहसिक घटना कारित की गयी थी जिसके सम्बन्ध में दिनांक 06.02.2014 को थाना कोतवाली नगर पर मुअसं- 76/14 धारा- 376/363/366 भादवि व 4 पोक्सों एक्ट व 3(1)12 एससीएसटी एक्ट पंजीकृत किया गया तथा दिनांक 01.03.2014 को पुलिस द्वारा मा0 न्यायालय में आरोप पत्र प्रेषित किया गया। इस अभियोग को श्रीमान पुलिस महानिदेशक महोदय, उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान "ऑपरेशन कन्विकशन" के अन्तर्गत चिन्हित करते हुए मॉनीटरिंग सैल बुलन्दशहर द्वारा मा0 न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी गई जिसके परिणामस्वरूप आज दिनांक 11.09.2023 को मा0 न्यायालय पोक्सों-02 बुलन्दशहर द्वारा दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त साबिर को 12 वर्ष का सश्रम कारावास व 40 हजार रूपये के अर्थदण्ड की सजा से दण्डित किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से पैरवी करने वाले अभियोजक श्री महेश राघव व श्री सुनील कुमार शर्मा का योगदान सराहनीय रहा है। प्रभावी पैरवी कर अभियुक्तों को सजा दिलाना बुलन्दशहर पुलिस की बड़ी सफलता है।

**मीडिया सेल बुलन्दशहर**